क्रम संख्या–142 (क)

253

पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 30 दिसम्बर, 2021 ई0

पौष 09, 1943 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

मंत्रिपरिषद् अनुभाग

संख्या 1084/6/4/2/XXI/2019

देहरादून, 30 दिसम्बर, 2021

अधिसूचना

सा0प0नि0–36

राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक (समय समय पर यथासंशोधित) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के परामर्श से, उच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीशों और भूतपूर्व न्यायाधीशों को घरेलू सहायता को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं, अर्थात्–

उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीशों और भूतपूर्व न्यायाधीशों को घरेलू सहायता नियमावली, 2021

संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारम्भ और लागू होना

1.(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीशों और भूतपूर्व न्यायाधीशों को घरेलू सहायता नियमावली, 2021 है।

254

(2) इसका विस्तार संपूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में होगा।

(3) यह नियमावली राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

(4) यह नियमावली ऐसे व्यक्ति पर लागू होगी जो उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश के रूप में सेवानिवृत्त हुए हो।

परिभाषाए

2. इस नियमावली में; जब तक कि सन्दर्भ या विषय से अन्यथा अपेक्षित न हो–

(क) "घरेलू सहायता" से उच्च न्यायालय के खर्च पर उच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश या भूतपूर्व न्यायाधीश, या उनकी जीवित पत्नी/उनके जीवित पति को उपलब्ध कराये जाने वाली सहायक की सहायता अभिप्रेत है;

(ख) "भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश" से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत हैं जो उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद से सेवानिवृत्त हुए हो;

(ग) "भूतपूर्व न्यायाधीश" से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत हैं जो उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद से सेवानिवृत्त हुए हो;

(घ) "उच्च न्यायालय" से उत्तराखण्ड का उच्च न्यायालय अभिप्रेत है;

(ड़) "पति/पत्नी" से पद पर रहते हुए या सेवानिवृत्ति के पश्चात, भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश या भूतपूर्व न्यायाधीश की मृत्यु पर यथास्थिति, उत्तरजीवी पति या पत्नी अभिप्रेत है;

पात्रता

3. उच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश या भूतपूर्व न्यायाधीश घरेलू सहायता की सेवायें प्राप्त करने के हकदार होंगे, यदि–

(क) उच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त हुए हों।

(ख) उस कार्यालय या पद को घरेलू सहायता की सुविधा उपलब्ध न हो जहाँ भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश या भूतपूर्व न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के उपरान्त नियुक्त हों।

घरेलू सहायता का चयन

4. यथास्थिति, भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश या भूतपूर्व न्यायाधीश अपने विवेक से घरेलू सहायता के रूप में योजित किये जाने के लिए किसी व्यक्ति का चयन कर सकेंगे।

संविदात्मक नियुक्ति

5. नियम 4 के अधीन घरेलू सहायता का कार्य संविदा के आधार पर होगा और तब तक उपलब्ध होगा जब तक कि भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश या भूतपूर्व न्यायाधीश नियम 3 के अधीन उस सुविधा का लाभ लेने को हकदार हों और जब तक घरेलू सहायक, भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश या भूतपूर्व न्यायाधीश के प्रमाणन के अध्यधीन, कर्तव्य निर्वहन संतोषप्रद करता है।

प्रतिपूर्ति

6. घरेलू सहायक को देय मासिक पारिश्रमिक की प्रतिपूर्ति प्रत्येक माह के अंत में, यथास्थिति, भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश को उच्च न्यायालय द्वारा की जायेगी।

मजदूरी

7. घरेलू सहायता के लिए सहायक को लगाये जाने पर उच्च न्यायालय द्वारा भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश या भूतपूर्व न्यायाधीश को प्रतिपूर्ति की जाने वाली धनराशि ऐसी होगी जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किया जाय।

मजदूरी का भुगतान

8. यथास्थिति, भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश या भूतपूर्व न्यायाधीश एक या अधिक घरेलू सहायता की सेवायें ले सकेंगे लेकिन उच्च न्यायालय केवल एक घरेलू सहायता के लिए नियम 7 में विहित दर पर देय के समतुल्य भुगतान करेगा।

पति/पत्नी

9. सुविधा, जो पूर्वोक्त उपबंधों के अधीन उच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश या भूतपूर्व न्यायाधीश को दी गयी है, उन्हीं निबंधनों और शर्तों पर, यथास्थिति, भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश या भूतपूर्व न्यायाधीश की उत्तरजीवी पत्नी/पति को जीवनपर्यन्त उपलब्ध करायी जायेगी।

निर्वचन

10. इस नियमावली के निर्वचन से संबंधित कोई प्रश्न या विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इस संबंध में विनिश्चय करने के लिए सक्षम होंगे, ऐसा विनिश्चय अंतिम और सभी प्रकार से बाध्यकारी होगा।

निरसन और व्यावृत्ति

11. (1) न्याय विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 178, दिनांकित 03 जुलाई, 2020 एवं यथासंशोधित शासनादेश संख्या 191, दिनांकित 28 जुलाई, 2020 को निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपनियम (1) में निर्दिष्ट शासनादेश, यथासंशोधित शासनादेश में उपबन्धों के अधीन की गयी कोई बात या कार्रवाई इस अधिसूचना के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गयी समझी जायेगी मानों इस अधिसूचना के सभी उपबन्ध सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,

अमित सिंह नेगी,
सचिव।

In pursuance of the provision of clause (3) of article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification **No. 1084/6/4/2/XXI/2019**, dated December 30, 2021 for general information.

No. 1084/6/4/2/XXI/2019
Dated Dehradun, December 30, 2021

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India (as amended from time to time) the Governor is pleased to make the following rules in consultation with the High Court of Uttarakhand, to regulate the Domestic Help to Former Chief Justices and Former Judges of High Court, namely-

The Domestic Help to Former Chief Justices and Former Judges of High Court of Uttarakhand Rules, 2021

Short title, extent, commencement and application

1.(1) These Rules may be called the Domestic Help to Former Chief Justices and Former Judges of the High Court of Uttarakhand Rules, 2021.

(2) It shall extend to whole of the State of Uttarakhand.

(3) These Rules shall come into force from the date of its publication in the official Gazette.

(4) These Rules shall apply to a person who has been retired either as a Chief Justice or as a Judge of the Uttarakhand High Court.

Definitions

2. In these Rules, unless otherwise required in the subject or context:-

(a) "Domestic Help" means the assistance of a helper to be provided to a Former Chief Justice or a Former Judge of High Court, or to his or her spouse at the expense of the High Court;

(b) "Former Chief Justice" means a person who has been retired from the office of the Chief Justice of the High Court of Uttarakhand;

(c) "Former Judge" means a person who has been retired from the office of a Judge of the High Court of Uttarakhand;

(d) "High Court" means the High Court of Uttarakhand;

(e) "Spouse" means the surviving wife or, husband as the case may be, of a Former Chief Justice or Former Judge upon his or her death while in office or after retirement.

Eligibility

3. A Former Chief Justice or a Former Judge of the High Court shall be entitled to avail of the services of a Domestic Help, if-

(a) Retired form the High Court.

(b) No facility of a Domestic Help is attached to the office or post to which the former Chief Justice or former Judge is appointed after retirement.

Selection of Domestic Help	4.	The Former Chief Justice or Former Judge as the case may be, may at her or his discretion select a person to be engaged as Domestic Help.
Contractual appointment	5.	The engagement of a Domestic Help under Rule 4 shall be on a contractual basis and shall be available until the Former Chief Justice or Former Judge is entitled to the benefit of the facility under Rule 3 and until the Domestic Help performs duties satisfactorily subject to the certification of the Former Chief Justice or Former Judge.
Reimbursement	6.	The monthly remuneration payable to the Domestic Help shall be reimbursed by the High Court to the Former Chief Justice or Former Judge, as the case may be, at the end of every month.
Wages	7.	The wages to be reimbursed by the High Court to Former Chief Justice or Former Judge for the engagement of a helper for Domestic Help shall be as notified by the State Government time to time.
Payment of Wages	8.	The Former Chief Justice or Former Judge as the case may be, may engage the services of one or more Domestic Help but the High Court shall pay equivalent to what is payable for one Domestic Help at the rate prescribed in Rule 7.
Spouse	9.	The facility, which is extended under the aforesaid provisions to a Former Chief Justice or Former Judge of the High Court, shall be provided on the same terms and conditions to the surviving spouse of a Former Chief Justice or Former Judge, as the case may be, during the lifetime of the spouse.

Interpretation 10. In the event of any question or dispute arising in regard to the interpretation of these Rules, the Chief Justice of the High Court shall be competent to take a decision in that regard which shall be final and binding in all respects.

Repeal and Saving 11.(1) Govenment order No. 178, dated 03 July, 2020 and as amended Goverment order No. 191, dated 28 July, 2020 issued by Law department is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal of the GO as amended GO specified in sub rule (1), anything done or any action taken under the provisions shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Notification, as if the provisions of this notification were in force at all material times.

By Order

AMIT SINGH NEGI,
Secretary.